



लिङ्ग १३७९-२५/८

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मो प्र० ग्वालियर

1- लालसिंह पिता थोबन सिंह, 2- खिलान सिंह पिता थोबन सिंह,

श्रीमान राजस्व मंडल मुलाम सिंह पिता थोबन सिंह,

हत्ता आज २५/१६ निवासी ग्राम हरदुआ जामशा, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह

प्रस्तुत

आवेदकगण

वनाम

1- उमराव सीग पिता रूपसींग

2- भगवान सींग पिता रूपसींग

निवासी ग्राम हिनौता उदेशा, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह

अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मो प्र० भू० रा० संहिता 1959 :-

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1- यह कि आवेदकगण यह निगरानी मौजा फतेहपुर, प०ह०न० ०७, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह की नामांतरण पंजी बर्ष 1997-98 के कमांक 72 पर सरपंच द्वारा स्वीकृत नामांतरण आदेश प्रस्ताव 27/04/1998 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

2- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम मौजा फतेहपुर, प०ह०न० ०७, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह में तांतूसींग के नाम से ग्राम हरदुआ जामशा, आमौनी खुर्द, सिमरी उददेशा, लखर कलौं एवं फतेहपुर में विभिन्न खसरा नंबरों की भूमियां राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 1379 - मा. 16 जिला दूर्दण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२१/१२/१८	<p>— छावड़ा की छोटे से ढाई किलोमीटर वर्षा विभाग शास्त्री एवं छावड़ा की छोटे से ढाई किलोमीटर बालापाला उप.</p> <p>— छावड़ा ढोखिने वालों में माटा किए जाने का छावड़ा नियम छावड़ा की ढोखिने वाले छावड़ा ढोखिने वाले हैं। जैसे वह खाली छावड़ा के छावड़ा में माटा लिया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">R.V.S 21/12/18 X</p> <p style="text-align: right;">पृष्ठा. (३५)</p>	